

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

--:आदेश:-

30/9/14

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक-422/गो0,दिनांक-30.09.2014 के निर्देश के आलोक में मधेपुरा जिला से निर्गत एवं मधेपुरा जिला के ओ0 डी0 पंजी में दर्ज सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का Data Base NIC द्वारा विकसित NDAL(National Data Base of Arms Licenses) Software में प्रविष्ट करने के संदर्भ में सभी अनुज्ञप्तिधारियों से NDAL में प्रविष्ट हेतु विहित प्रपत्र फार्म-1- मधेपुरा जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए, 2. फार्म-2 - मधेपुरा जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो मधेपुरा जिला के O.D. पंजी में पंजीकृत है, 3.फार्म-3- Sporting Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए, 4. फार्म-4- संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए, ये सभी विहित प्रपत्र (मधेपुरा जिला के Website : www.madhepura.bih.nic.in पर उपलब्ध है), में वांछित सूचनाएँ एकत्र करने एवं उनके धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण करने हेतु दिनांक-23.09.2014 एवं 24.09.2014 को तिथि निर्धारित किया गया था, वैसे अनुज्ञप्तिधारियों जिनके द्वारा उक्त तिथि को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं NDAL में प्रविष्ट हेतु विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर जमा नहीं किया गया है उन्हें अंतिम रूप से दिनांक-08.10.2014 को प्राधिकृत अंचल अधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष के समक्ष निम्नांकित निरीक्षण स्थल पर भौतिक सत्यापन एवं NDAL में प्रविष्ट हेतु विहित प्रपत्र भरकर जमा करने की स्वीकृति दी जाती है।

निर्धारित तिथि को सभी अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का निरीक्षण कराएँगे तथा जिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त (फॉर्म-1,2,3 एवं 4 जो उनसे संबंधित है) वांछित सूचनाएँ भरकर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में नहीं जमा किया गया है, वे संबंधित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ पूर्ण एवं शुद्ध रूप से भरकर अपने सम्पूर्ण अनुज्ञप्ति की छायाप्रति एवं हाल के फोटो के साथ प्रतिनियुक्त संबंधित अंचल अधिकारी के पास जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक-01.10.2015 से अवैध हो जाएगी, जिसके लिए वे पूर्णतया जिम्मेवार होंगे।

क0	संबंधित थाना	निरीक्षण स्थल	प्राधिकृत पदाधिकारियों का नाम	शस्त्र के प्रकार	निरीक्षण की तिथि
01	02		03	04	
1	मधेपुरा/भरही ओ0पी0	मधेपुरा थाना	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
2	चैलाद थाना	चैलाद थाना	अंचल अधिकारी, चैलाद	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
3	गम्हरिया थाना	गम्हरिया थाना	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
4	सिंहेश्वर थाना	सिंहेश्वर थाना	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
5	शंकरपुर थाना	शंकरपुर थाना	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
6	कुमारखंड/भतनी/श्रीनगर थाना	कुमारखंड थाना	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
7	मुरलीगंज थाना	मुरलीगंज थाना	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
8	बिहारीगंज थाना	बिहारीगंज थाना	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
9	ग्वालपाड़ा/अरार ओ0पी0	ग्वालपाड़ा थाना	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
10	उदाकिशुनगंज थाना	उदाकिशुनगंज थाना	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
11	आलमनगर/रतवारा ओ0पी0	आलमनगर थाना	अंचल अधिकारी, आलमनगर	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
12	पुरैनी थाना	पुरैनी थाना	अंचल अधिकारी, पुरैनी	रिवाल्वर,पिस्टल,रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014

13	चौसा/फुलौत ओ0पी0	चौसा थाना	अंचल अधिकारी, चौसा	रिवाल्वर, पिस्टल, रायफल, एवं बंदूक	08.10.2014
----	------------------	-----------	--------------------	---------------------------------------	------------

उपरोक्त परिपेक्ष्य में विहित प्रपत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त विषय वस्तु से अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

80f

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक...308.../श0, मधेपुरा, दिनांक...30-09-2014...

प्रतिलिपि: सभी अंचल अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सभी ओ0 पी0 अध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त तिथि को सत्प्रतिशत सत्यापन हेतु/विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं राज्य के मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं निदेश है कि संबंधित अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष एवं ओ0पी0अध्यक्ष को BULK SMS के माध्यम से भी तत्संबंधी सूचना भेजना सुनिश्चित करें।

2
30/09/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।